<u>जन सुनवाई के कार्यवृत</u>

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत एवं कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/2021/2595 दिनांक 03/09/2021 की अनुपालना में मैसर्स मूमल माईक्रोन्स प्राईवेट लिमिटेड, एम. एल संख्या 38/2019, क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) की प्रस्तावित क्वार्टज मय क्लस्टर खनन (कुल 8 खनन पट्टे) परियोजना, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु जन सुनवाई दिनांक 21/10/2021 को ग्राम पंचायत कराड़ा का वाड़ा (खनन स्थल ग्राम पंचायत), तहसील–सागवाड़ा, जिला–डूंगरपुर (राजस्थान) को प्रातः 11:00 बजे जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रतिनिधि श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर की अध्यक्षता एवं श्री आशीष कुमार बौरासी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बासंवाड़ा की उपस्थिति में आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न है। जन सुनवाई बाबत् विज्ञप्ति दिनांक 17/09/2021 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ठ "ब" में संलग्न है। जन सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक मैसर्स मूमल माईक्रोन्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक श्री गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित थे ।

जन सुनवाई आरंभ करते हुए सर्वप्रथम श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को जन सुनवाई के उद्देश्यों के बारे में बताया व उपस्थित जनसमुदाय से कहा की जन सुनवाई के दौरान प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में आप अपने आक्षेप/सुझाव रख सकते है। इसके पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बासंवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया तथा कहा कि प्रस्तावित परियोजना क्लस्टर क्षेत्र में आने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु जन सुनवाई किया जाना अनिवार्य है।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी ने परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया एवं सुश्री पुर्वा साहु, कोंग्निजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षैत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

आग्रह किया कि वे इस खनन परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत करावें।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने कराडा का वाडा क्वार्टज माईन क्लस्टर की खदान खनन पट्टा मैसर्स मूमल माईक्रोन्स प्राईवेट लिमिटेड, एम. एल. संख्या 38/2019, क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) की प्रस्तावित क्वार्टज मय क्लस्टर खनन (कुल 8 खनन पट्टे) परियोजना, क्लस्टर में स्वीकृत अन्य खनन पट्टे एम. एल. संख्या 12/2018, उत्पादन क्षमता 99930 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम. एल. संख्या 35/2019, उत्पादन क्षमता 72774 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम. एल. संख्या 05/2019, उत्पादन क्षमता 78055 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम. एल. संख्या 06/2019, उत्पादन क्षमता 71183 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम. एल. संख्या 03/2019, उत्पादन क्षमता 90012 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम. एल. संख्या 08/2019, उत्पादन क्षमता 90012 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) तथा एम. एल. संख्या 24/2019, उत्पादन क्षमता 63166 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) की मुख्य विशेषताएं, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षैत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कामगारों के कल्याण के लिए और प्रस्तावित नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से सम्बन्धित जानकारी उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को बताई गयी।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी द्वारा उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव हेतु आमंत्रित किया गया तथा कहा गया कि आप खनन परियोजना से सम्बन्धित आक्षेप/सुझाव मौखिक/लिखित रुप से दे सकते है।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा कहा गया कि कुछ दिनों पूर्व ही इसी स्थल पर उनकी अध्यक्षता में किसी अन्य खनन परियोजना से सम्बन्धित जन सुनवाई आयोजित की गयी थी। अतः खनन परियोजना के संबंध में जन सामान्य के मन में क्या–क्या आक्षेप/सुझाव रहते हैं, उनसे वे भली–भांति अवगत है। तत्पश्चात् उन्होंने जनता की ओर से परियोजना प्रस्तावक और उनके पर्यावरणीय सलाहकार से परियोजना के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये जिसका विवरण इस प्रकार है–

(... सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षैत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

1. पूछा गया कि जन सुनवाई के दौरान जो भी पर्यावरण संरक्षण तथा जनकल्याण के कार्य/जानकारी इस परियोजना के बारे में बताए गए है, क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन सभी को पूरा किया जाएगा?
उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा की उनके द्वारा परियोजना से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं शर्तों की पालना की जाएगी तथा जन सुनवाई के दौरान बताए गए पर्यावरण संरक्षण तथा जनकल्याण के समस्त कार्य किये जाएंगे।

2. पूछा गया कि क्या परियोजना में स्थानीय निवासियों को रोजगार दिया जाएगा?
उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया ने जानकारी देते हुए कहा की परियोजना में स्थानीय निवासियों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि संभव हुआ तो स्थानीय निवासियों के संसाधन भी परियोजना में लगाए जाएंगे, जिससे की उन्हें आर्थिक लाभ हो सके।

3. पूछा गया कि क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन मार्ग का रख–रखाव किया जाएगा, जिससे की धूल–मिट्टी न उड़े और वायु प्रदूषण न हो ?
उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया ने जानकारी देते हुए कहा की खनिज परिवहन मार्ग पर नियमित रूप से टेंकर द्वारा पानी का छिडकाव किया जायेगा।
श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा खनन क्षेत्र से मुख्य सड़क तक पक्की सड़क बनाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया।
उपरोक्त के उत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया ने जानकारी देते हुए कहा की पक्की सड़क बनाने हेतु प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि अनुमति मिलती है तो खनन क्षेत्र के अन्य परियोजना प्रस्तावकों के साथ मिलकर पक्की सड़क बनाने का भी प्रयास किया जायेगा।

4. पूछा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनकल्याण के क्या कार्य किये जाएंगे?
उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया ने जानकारी देते हुए कहा की नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधियों के अंतर्गत गांव मे मेडीकल केम्प का आयोजन करेगे तथा सरकारी स्कूल में जरूरत पडने पर शौचालय एवं

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षैत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अन्य कमरों का निर्माण भी करेगे। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूल में आवश्यकता पड़ने पर कम्प्यूटर आदि भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।

5. पूछा गया कि क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन स्थल तथा इसके आस–पास पौधारोपण किया जायेगा ?
   उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया ने जानकारी देते हुए कहा की खनन स्थल तथा इसके आस–पास पौधारोपण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से सामंजस्य कर गांव के आस–पास अन्य स्थानों पर भी पौधारोपण किया जायेगा।
   श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा श्रीमती बबली देवी परमार, सरपंच, ग्राम पंचायत कराड़ा को निर्देशित किया गया की वे क्षेत्र की परियोजनाओं पर नजर रखें जिससे कि नियमानुसार कार्य हो।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी द्वारा पुनः उपस्थित जनसमूह को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव हेतु आमंत्रित किया गया तथा कहा गया कि आप खनन परियोजना से सम्बन्धित आक्षेप/सुझाव मौखिक/लिखित रुप से दे सकते है।

6. जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा सामूहिक रूप से कहा गया कि क्षेत्र में कतिपय लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है इससे रोकने पर उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है।
   श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने कहा कि प्रश्न इस परियोजना से संबंधित नहीं है तथा उपस्थित ग्राम वासियों से आग्रह किया कि अवैध खनन की सूचना पटवारी को तुरंत दें। पटवारी की सूचना पर खान विभाग द्वारा अवैध खनन बंद करवाकर उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी । कतिपय लोगों से नहीं डरें व प्रशासन को तुरंत सूचित करें। जिला प्रशासन आपके साथ है, निश्चित रूप से आपकी शिकायतों पर कार्यवाही कर नियमानुसार उनका निवारण किया जायेगा। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक रूप से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों को नोट करवाया तथा कहा कि कोई भी शिकायत होने पर वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।
7. श्री रमेश सुथार निवासी ग्राम कराड़ा ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पूर्व की अन्य परियोजनाओं के वाहनों ने गाँव के रास्ते खोद दिए है। गाँव के अन्दर से भी भारी वाहन निकल रहे है जिन्हें अन्य वैकल्पिक रास्तों से निकाले जाने की व्यवस्था करें। नियमानुसार

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षैत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

पौधारोपण भी नहीं किया जा रहा है। खान यहाँ चल रही है प्रदुषण यहाँ हो रहा है परन्तु पौधारोपण यहाँ से दूर अन्य जगह पर किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रश्नों के जवाब में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वार्डीया ने जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार पौधारोपण किया जायेगा तथा नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन मार्ग का नियमित रूप से रख–रखाव किया जाएगा व खनिज परिवहन हेतु आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक मार्ग को अपनाया जाएगा।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा निर्देशित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा गांव के आस–पास की भूमि पर पौधारोपण हेतु प्रस्ताव बनाया जाए जिससे की क्षेत्र में ही पौधारोपण किया जा सके।

8. श्री राजेंद्र परमार, जिला परिषद सदस्य, निवासी ग्राम कराड़ा ने गांव की रिक्त पड़ी चारागाह भूमि पर पौधारोपण करने हेतु सुझाव दिया ।

9. श्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम कराड़ा ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि उनके घर के पास स्थित पूर्व की अन्य परियोजना द्वारा ब्लास्टिंग नियमों से नहीं की जा रही है जिससे उन्हें परेशानी है।

   श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने कहा कि पूर्व की अन्य परियोजनाओं द्वारा नियम विरूद्व कार्य करने की जानकारी आप द्वारा जिला प्रशासन को पूर्व में क्यों नही दी गई व आप आज इस किसी अन्य परियोजना की जन सुनवाई में पूर्व की अन्य परियोजनाओं की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया कि अगर कोई भी परियोजना नियम विरूद्व कार्य करे तो आप इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कर सकते है। जिला प्रशासन आपकी शिकायतों की जांच कराएगा एवं शिकायतों का उचित निवारण किया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना के सम्बंध में आम सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से परियोजना की जन सुनवाई तक तथा जन सुनवाई के दौरान परियोजना के सम्बन्ध में कोई लिखित आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने उपस्थित जनसमुदाय का जन सुनवाई में आने हेतु आभार प्रकट किया।

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षैत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

श्री आशीष कुमार बौरासी, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो रिकार्डिंग की सी.डी. एवं फोटोग्राफ के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके साथ ही जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(आशीष कुमार बौरासी)
(आशीष कुमार बौरासी)
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. बांसवाड़ा
रा.प्र.नि.मं. बांसवाड़ा

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला—डूंगरपुर

परिशिष्ट- "अ"

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स पूमल माइक्रोन्स प्रा० लि०

करावा का वाडा क्वार्टज क्लस्टर परियोजना संख्या कुल क्लस्टर क्षैत्रफल 8.7729, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता–602603 टीपीए, ग्राम करावा का वाडा, तहसील सागवाडा, जिला डुंगरपुर की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान– ग्राम पंचायत, ग्राम करावा का वाडा, तहसील सागवाडा, जिला डुंगरपुर
दिनांक–21/10/2021
समय–प्रातः 11.00 बजे से

क्रम संख्या	उपस्थित लोगो का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	K.P. Singh Chouhan	ADM DPR	[signature]
2	आशीष कुमार चौरसिया	RO, RSPCB Banswara	[signature]
3	रमेश परमार	जिला परिषद सदस्य	[signature]
4	कमलेश परमार	सरपंच ग्रा.प. करावा	[signature]
5	Puneet Vardia	CRIPL, Udaipur	Puneet
6	[illegible]		पूमल
7	रूपलाल		रूपलाल
8	कमलेश डोडियार	गां. करावा. डोडियार फला	कमलेश डोडियार
9	प्रताप पारगी	करावा	प्रताप पारगी
10	[illegible]	[illegible]	[signature]
11	सुभाष चन्द्र अहारी	करावा हिरा घाटी	सुभाष
12	ईश्वरलाल [illegible]	ओ.बी.सी. मोर्चा अध्यक्ष	[signature]
13	दिनेश [illegible]	करावा का वाडा	[signature]
14	हिरालाल	करावा	हिरालाल
15	रमेश सुथार	करावा	[signature]
16	डायालाल	करावा	डायालाल
17	किशन	करावा.	किशन
18	लक्ष्मणलाल	करावा।	[signature]

19.	कमलेश पिता आनजी	डोडीया किला कराडा	कमलेश
20	गीता भाना	डोडीयाफला कराडा	गीता
21	गोविन्द	— " — "	गोविन्द
22	अरविंद	— " — "	अरविन्द
23	कान्ति	—	कान्ति
24	मागजी	— "	मोगजी
25	रमेश	— " "	[signature]
26	थावरा	— " —	थावरा
27	विनोद	— " —	विनोद
28	शारदा	— " —	शारदा
29	नाथु	— " —	नाथु
30	राखी उपाध्याय	— " — कराडा	[signature]
31	संतोष यादव	— —	[signature]
32	प्याग जोशी		[signature]
33	[signature] पवार		[signature]
54	मुकेश खरंडा	कराडा वाडा	[signature]
55	योगेश मेनारिया	उदयपुर	[signature]
56	Puuva Sahu	Udaipur	[signature]

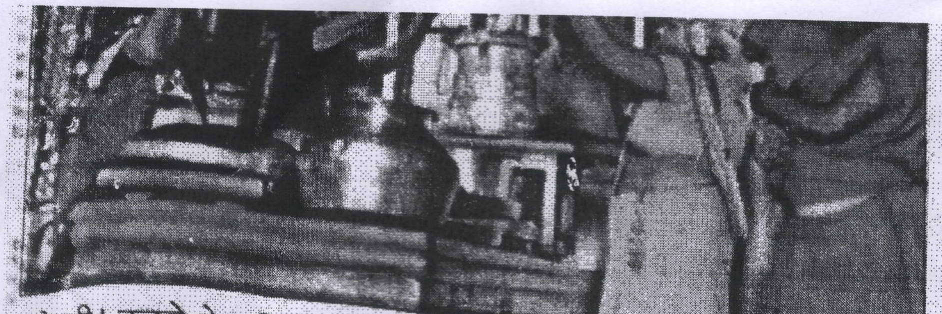

ओबरी। कस्बे के श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में दस लक्षणी पर्युषण महापर्व के तहत अभिषेक करते हुए। - चन्द्रेश कलाल

date- 17.09.21
दैनिक नवज्योति

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

चौधरी कॉम्पलेक्स, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, दाहोद रोड़, बांसवाड़ा

क्रमांक : राप्रनिमं/क्षे. का. बांसवाड़ा/2021-22/59

दिनांक : 15.09.2021

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मुमल माईक्रोंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्वार्टज(अप्रधान खनिज) खदान खनन पट्टा एम.एल. संख्या 38/2019, खनन क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. (क्लस्टर क्रमांक 69, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) निकट ग्राम-कराडा का वाड़ा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर से सम्बन्धित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि मैसर्स मुमल माईक्रोंस प्राइवेट लिमिटेड, खनन पट्टा एम.एल. संख्या 38/2019, खनन क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा कराडा का वाडा क्वार्टज (अप्रधान खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाएं 1. मैसर्स ग्लोबल मिनरल एम.एल. न. 12/2018, एरिया 1.0273 हैक्टेयर 2. श्री विकास बामनिया एम.एल. न. 35/2019, एरिया 1.0351 हैक्टेयर 3. श्री अभिज्ञान शर्मा एम. एल. न. 5/2019, एरिया 1.0533 हैक्टेयर 4. मैसर्स क्वार्टज इंडिया ट्रेडर्स एम.एल. न. 6/2019, एरिया 1.0857 हैक्टेयर 5. मैसर्स गिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एम.एल.न. 3/2019, एरिया 1.1677 हैक्टेयर 6. मैसर्स गिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एम.एल. न. 08/2019, एरिया 1.1301 हैक्टेयर 7. श्रीमति शकुंतला सिंघल एवं श्रीमति इंदु अग्रवाल एम.एल. नं. 24/2019, एरिया 1.2351 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) हैं।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.1.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सम्पूर्ण क्लस्टर की जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य हैं

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है।
   1. कार्यालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
   2. कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, डूंगरपुर।
   3. कार्यालय खनिज अभियंता, डूंगरपुर।
   4. कार्यालय उपखंड अधिकारी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
   5. सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, डूंगरपुर।
   6. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या- 8240, द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   7. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, 4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरपुर, जयपुर।
   8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा।
   9. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 एवं 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड़, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   10. कार्यालय ग्राम पंचायत, ग्राम-कराडा का वाडा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2021 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे, खनन स्थल ग्राम पंचायत, ग्राम-कराडा का वाडा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा में भी प्रस्तुत कर सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा

के प्रधानाचार्य अल्पेश जैन सहित सहित सम्पूर्ण पीईईओ क्षेत्र के कार्मिकों ने मुकेश जैन के उपवास की अनुमोदना करते हुए अभिनन्दन किया। इस पर मुकेश जैन ने बताया कि इससे पूर्व भी वे पर्युषण पर्व के दस दिन तक उपवास कर चुके हैं। संकल्प के साथ किए हुए कार्य से आत्मबल की प्राप्ति के साथ शारीरिक शुद्धिकरण के साथ मानसिक शांति का अहसास होता है। शुरू के एक दो दिन कठिनाई होती है फिर सामान्य सा लगने लगता है। जैन

परिशिष्ट

परतापुर। तत्वार्थ सूत्र का वाचन

मनरेगा मेट संघ की कार्यकारिणी गठित

सागवाड़ा। मनरेगा मेट संघ ब्लॉक साग
की बैठक वाल्मीकि मन्दिर परिसर में आयो
हुई, जिसमें ब्लॉक सागवाड़ा की कार्यका
का गठन कर कन्हैयालाल यादव खड़गद
अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में उप
नाथुलाल परमार बिलीया बडगामा, कोष
हीरालाल बुनकर जेठाणा, महासचिव ना
ननोमा घोडापला को सर्व सम्मति से चुना
इस अवसर पर उपस्थित मेट रमणलाल
टामटीया, राजेश यादव रणोली, रू
अहारी, बिलिया बडगामा, अमृतलाल रो
विष्णु जोगी टामटिया, वरसंग मकवाणा डै
गौरीशंकर खाट डैयाणा, वलमजी यादव
गोदावरी पाटीदार रणोली, निमा पाटीदार
बसन्तलाल बुनकर भीलूडी, कमलेश यादव
कमलप्रकाश बामणिया भीलूडा, देवीलाल
घोडापला, कमलेश ननोमा घोडापला, डूं
खराडी टामटिया आदि सदस्य मौजूद

Place: Gandhinagar
Date: 16-09-2021
INF/1080/2021-22 date- 17-09-21

Directorate of Agriculture
G.S., Gandhinagar

परिशिष्ट क (2)

The Times of India

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

चौधरी कोम्पस, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, दाहोद रोड, बांसवाड़ा

क्रमांक : राप्रनिमं/क्षे. का. बांसवाड़ा/2021-22/59 दिनांक : 15.09.2021

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मुमल माईक्रोंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्वार्टज (अप्रधान
खनिज) खदान खनन पट्टा एम.एल. संख्या 38/2019, खनन क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता
37471 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. (क्लस्टर क्रमांक 69, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल
क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) निकट ग्राम-कराडा का वाड़ा,
तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर से सम्बन्धित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति
हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि मैसर्स मुमल माईक्रोंस प्राइवेट लिमिटेड, खनन पट्टा एम.एल. संख्या 38/2019, खनन क्षेत्रफल 1.
0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा कराडा का वाडा क्वार्टज (अप्रधान
खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु
आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से
अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाएं 1. मैसर्स ग्लोबल
मिनरल एम.एल. न. 12/2018, एरिया 1.0273 हैक्टेयर 2. श्री विकास बामनिया एम.एल. न. 35/2019,
एरिया 1.0351 हैक्टेयर 3. श्री अभिज्ञान शर्मा एम. एल. न. 5/2019, एरिया 1.0533 हैक्टेयर 4. मैसर्स
क्वार्टज इंडिया ट्रेडर्स एम.एल. न. 6/2019, एरिया 1.0857 हैक्टेयर 5. मैसर्स गिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजीज
लिमिटेड एम.एल.न. 3/2019, एरिया 1.1677 हैक्टेयर 6. मैसर्स गिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एम.
एल. न. 08/2019, एरिया 1.1301 हैक्टेयर 7. श्रीमति शकुंतला सिंघल एवं श्रीमति इंदु अग्रवाल एम.एल. नं.
24/2019, एरिया 1.2351 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता
602603 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) है।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई
दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.1.
2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सम्पूर्ण क्लस्टर की जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30
दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न
कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
2. कार्यालय जिला उद्योग केंद, डूंगपुर।
3. कार्यालय खनिज अभियंता, डूंगरपुर।
4. कार्यालय उपखंड अधिकारी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
5. सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, डूंरपुर।
6. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या- 8240, द्वितीय तल, उ-प(एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
7. राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, 4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरपुर, जयपुर।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा।
9. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 एवं 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
10. कार्यालय ग्राम पंचायत, ग्राम-कराडा का वाडा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2021 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे, खनन स्थल ग्राम पंचायत, ग्राम-कराडा का वाडा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा में भी प्रस्तुत कर सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्दीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा

Offline
from In
for E
NPCII
(Tend
For r
https
{Ema
Date
Plac
Hiri
Fa
La